

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा,
सतपुड़ा भवन, भोपाल-मध्यप्रदेश 462004

क्रमांक 1748/879/शाखा-8/07
प्रति,

भोपाल, दिनांक 06/11/2007

प्राचार्य
समस्त अग्रणी महाविद्यालय
मध्यप्रदेश।

विषय:- गाँव की बेटा योजना का सत्र 2007-08 में क्रियान्वयन।

संदर्भ:- शासन का पत्र क्रमांक F-19-7/07/2-अड़तीस दिनांक 30.08.2007

संदर्भित पत्र द्वारा गाँव की बेटा योजना के क्रियान्वयन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार अग्रणी महाविद्यालयों को पात्र छात्राओं की सूची विभाग द्वारा बनाये गये साफ्टवेयर के माध्यम से अद्यतन कर आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल को भेजना है। क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधिकार क्षेत्रान्तर्गत समस्त अग्रणी महाविद्यालयों द्वारा फ्लॉपी/पेन ड्राइव/सीडी में साफ्ट कापी एवं प्रिंट आउट आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल को समय सीमा में पहुंचाया जाए। अतः इस संबंध में यह निश्चित किया गया है कि अग्रणी महाविद्यालय से जिले की समस्त गाँव की बेटा योजनांतर्गत आवेदिका जो उच्च शिक्षा हेतु प्रथम वर्ष में प्रवेशित हो की सूची साफ्टवेयर के माध्यम से अद्यतन कर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इस कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करे।

जिलेवार कार्यक्रम निम्नानुसार है, तदनुसार समस्त अग्रणी महाविद्यालयों से गाँव की बेटा योजना के प्रभारी अधिकारी डॉ० यू०सी० जैन अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, तीसरी मंजिल, सतपुड़ा भवन भोपाल के कक्ष में उपस्थित हों।

क्रमांक	अग्रणी महाविद्यालय	दिनांक एवं समय
1	भोपाल, रायसेन, विदिशा, सीहोर, राजगढ़, होशंगाबाद, बैतूल एवं हरदा	19.11.2007 प्रातः 10.30 से 5.30 बजे तक
2	गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, ग्वालियर, दतिया, भिण्ड, श्योपुर तथा मुरैना	
3	उज्जैन, इंदौर, धार, नीमच, रतलाम, मंदसौर, खंडवा, बुरहानपुर, खरगौन, देवास, बड़वानी, झाबुआ तथा शाजापुर जिले	
4	सागर, दमोह, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, कटनी, डिण्डोरी, मंडला, बालाघाट जिले	20.11.2007 प्रातः 10.30 से 5.30 बजे तक
5	रीवा, सतना, शहडोल, सीधी, उमरिया, छतरपुर, पन्ना, अनुपपुर तथा टीकमगढ़ जिले	

उपरोक्त कार्यक्रम अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि अग्रणी महाविद्यालयों में गाँव की बेटा योजना के प्रभारी अधीनस्थ महाविद्यालयों से लाभान्वित छात्राओं की सूची

(प्रपत्र–GKB1, GKB2, GKB3) अद्यतन के साथ निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इस कार्यालय में उपस्थित हों।

- (1) प्रपत्र–GKB3 में गांव की बेटी योजना 2005–06 की छात्राएं का परिक्षण कर साफ्टवेयर के माध्यम से ही संशोधन करे।
- (2) प्रपत्र–GKB2 में गांव की बेटी योजना 2006–07 में वितरित राशि की पुष्टि करें। यदि आंकड़ों में विसंगति है तो साफ्टवेयर के माध्यम से ही संशोधन करे।
- (3) प्रपत्र–GKB1 में गांव की बेटी योजना 2007–08 में प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेशित छात्राओं का परिक्षण कर साफ्टवेयर के माध्यम से संकलन करे।
- (4) संलग्न प्रपत्र–GKBACT के माध्यम से यह सत्यापित किया जा सके कि आपके द्वारा कोषालय से आहरित राशि एवं लाभान्वित छात्राओं को प्रदाय की गई राशि में कोई विसंगति दृष्टिगोचर नहीं होती। पात्र छात्रा के बारे में आंकड़ो का सत्यापन करना अनिवार्य है, अतः तदनुसार प्राचार्य से प्रमाणित (प्रपत्र–GKB1, GKB2, GKB3) को अंतिम रूप देते समय यह सुनिश्चित किया जाना है कि लाभान्वित छात्रा के ग्राम, 12वीं परीक्षा व नवीनीकरण छात्रा के विगत परीक्षा के प्राप्तांक/पूर्णांक का परीक्षण कर ले।

कुछ महाविद्यालयों ने जानकारी तैयार कर प्रिंटआउट का पृष्ठांकन इस कार्यालय को किया है, जो नहीं किया जाना है। इस बारे में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अग्रणी महाविद्यालयवार जानकारी फ्लॉपी/पेन ड्राइव/सीडी एवं प्रिंट आउट आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल को देनी है।

संलग्न –

1. गांव की बेटी योजना Software Manual
2. गांव की बेटी योजना Software CD
3. प्रपत्र– GKBACT

हस्ताक्षर

(आशीष उपाध्याय)

आयुक्त

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक 1749/879/आउशि/शाखा–8/07

भोपाल, दिनांक 06/11/2007

प्रतिलिपि:–

1. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल–होशंगाबाद संभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

हस्ताक्षर

(आशीष उपाध्याय)

आयुक्त

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल